अनुसूची 14– फारम सं0 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीखः– 21/06/2022 से ....

जिला– बोकारो, संख्याः– 03/2022-23

केस का प्रकारः– अतिक्रमण वाद

आदेश की कम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
21/06/2022	प्रेमचन्द दास, दीपक कुमार एवं अन्य, ग्राम+पो0+थाना– नावाडीह का आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा सूचित किया गया है कि नव प्राथमिक विद्यालय, नावाडीह टोला सीमाटांड में मौजा नावाडीह, खाता सं0 14, प्लॉट सं0 1668 में झरी रविदास पिता स्व0 अकल रविदास, ग्राम नावाडीह, टोला सीमाटांड द्वारा अवैध रूप से स्कूल के द्वार के सामने बीच गली में जो आम सर्वे रास्ता है घर बनाया जा रहा है। जिससे गली संकीर्ण हो जाने के कारण आवागमण बाधित हो रहा है। मकान बनाने का कार्य जोर–शौर से किया जा रहा है। उनके द्वारा कार्य स्थल पर अविलंब अतिक्रमण रोकने का अनुरोध किया गया है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक से प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक 24/06/2022 को उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) 21/06/2022 अंचल अधिकारी, नावाडीह।	
24/06/2022	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अमीन का जॉच प्रतिवेदन प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्राप्त हुआ। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा नावाडीह, थाना सं0 60, खाता सं0 90, प्लॉट सं0 1601, कुल रकबा 1.02 ए0 जो केसरहिन्द भूमि है के अंश भाग पर झरी रविदास पिता स्व0 अकल रविदास, ग्राम नावाडीह, टोला सीमाटांड के द्वारा सुकर रखने का घर बनाया जा रहा है। नामित व्यक्ति को भूमि संबंधी कागजात के साथ उपस्थित होने का नोटिस निर्गत करें। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक वाद की अंतिम सुनवाई तक निर्माण कार्य पर रोक लगायें। (हस्ताक्षर) 24/06/2022 अंचल अधिकारी, नावाडीह। तदनुसार नोटिस निर्गत किया गया। अभिलेख दिनांक 28/06/2022 को उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) 25/06/2022 अंचल अधिकारी, नावाडीह।	

Scanned with CamScanner

क्रम एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
28/06/22	अभिलेख उपस्थापित। पक्ष उपस्थित। उनके द्वारा बताया गया कि कोई नया निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, जो दीवार पहले से खड़ा था वो गिर गया था जिसे खड़ा किया जा रहा है। रास्ते पर अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है। भूमि पर दावे से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। चूँकि वर्णित भूमि जिला परिषद खाते की है किस्म सड़क है एवं केशर हिन्द है जो कि सरकारी भूमि है। अतः उक्त सरकारी भूमि पर नामित व्यक्ति को किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने का आदेश दिया जाता है। यदि थोड़ा भी निर्माण कार्य हुआ है तो नामित व्यक्ति तुरन्त उसे हटा देंगे। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न हो उसे सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। अंचल अधिकारी, नावाडीह। Ashok 28/06/22 अंचल अधिकारी, नावाडीह।	

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINHA
Date: 2023.01.20 11:56:25 +05:30
Location: 192.168.43.111

Scanned with CamScanner